Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ **जयपुर में तकनीकी सहायक व कनिष्ठ अभियंता 60,000/— रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 30 जून, सोमवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जयपुर नगर—तृतीय ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी 1. सुरेश बैरवा उम्र 34 वर्ष, सांगानेर जयपुर, हाल तकनीकी सहायक, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, बड़ के बालाजी जयपुर 2. बलदेव चौधरी उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम—बसेडी, पोस्ट शिवसिंहपुरा, पुलिस थाना बगरू, तहसील कालवाड़, जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ बेगस जयपुर एवं अतिरिक्त कार्यभार कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ बड़ के बालाजी जयपुर को **60,000/— रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव (कार्यवाहक महानिदेशक, एसीबी)** ने बताया कि एसीबी चौकी जयपुर नगर—तृतीय जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के धर्म भाई के मकान में बिजली कनेक्शन हेतु आरोपी लाईनमेन श्री सुरेश बैरवा द्वारा बिजली कनेक्शन करने की एवज में 70,000/—रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस—द्वितीय श्री राहुल कोटोकी** के सुपरविजन में एसीबी चौकी जयपुर नगर—तृतीय के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञान प्रकाश नवल** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री गंभीर सिंह कसाना** द्वारा मय टीम के कार्यवाही करते हुए आरोपीगण 1. सुरेश बैरवा, हाल तकनीकी सहायक, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, बड़ के बालाजी जयपुर 2. बलदेव चौधरी, हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ बेगस जयपुर एवं अतिरिक्त कार्यभार कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ बड़ के बालाजी जयपुर को 60,000/— रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।